

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
 राजस्व लोक अदालत मुकाम खेडमिया तहसील बनेड़ा
 पीठासीन अधिकारी - श्री संजय माथुर
 (आर.ए.एस.)

प्र०स० - 36/2016

उनवान

1. रामस्वकाय श० रामचन्द्र जाट नि० खेडमिया त० बनेड़ा
2. श्यामलाल श० रामचन्द्र जाट नि० _____
3. गोपाललाल श० रामचन्द्र जाट नि० _____
4. काली श० रामचन्द्र जाट नि० _____
5. पुष्पा श० रामचन्द्र जाट नि० _____
- 7.
- 8.

_____ (प्रार्थीगण)

बनाम

1. मांगीलाल श० लक्ष्मण जाट नि० खेडमिया त० बनेड़ा
2. जगेश श० मांगीलाल जाट नि० _____
3. नंदी श० जगो श्रील नि० _____
4. कलपारा श० गोपी नाथक नि० _____
5. पुष्पा श० श्यामलाल नाथक नि० _____
7. एच०बी०बी०जे० शाखा बनेड़ा
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

_____ (अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा०भू०अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढ़ी कराने के।

:: निर्णय ::

दिनांक - 27-6-2016

वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा०भू०राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय में दिनांक 27-6-2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सम्वत 2071 से 2074 की जमाबंदी अनुसार वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार क्षेत्र खेडमिया भू०अ०निरीक्षक क्षेत्र महुकाबु तहसील बनेड़ा की कृषि भूमि खाता संख्या 90 के आ०न० 69/1, 70, 71, 72 कुल किता 4 कुल रकबा 5-07 बीघा स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।


प्रस्तुत वादपत्र इस न्यायालय राजस्व लोक अदालत कम्प मुकाम खेडमिया में दिनांक 27-6-16 को पंजीबद्ध किया गया। विपक्षीगण द्वारा राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होकर कोई आपत्ति नहीं होना बताया। इस प्रकार विपक्षी की ओर से कोई उजरदारी पेश नहीं होने से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के विरुद्ध उनकी ओर से कोई आपत्ति नहीं है।

प्रस्तुत वाद के पक्ष पर पक्षकार को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवादित प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार है। अतः लोक अदालत की भावना से प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार क्षेत्र खेडमिया भू०अ०निरीक्षक क्षेत्र महुकाबु तहसील बनेड़ा की कृषि भूमि खाता संख्या 90 के आ०न० 69/1, 70, 71, 72 कुल किता 4 कुल रकबा 5-07 बीघा की पत्थरगढ़ी बशमलाल पक्षकारान तहसीलदार बनेड़ा करावे। प्रार्थी इस कार्य के लिए भू०अ०नि० की कमिश्नर फीस 600/- रुपये पत्थरगढ़ी के समय मौके पर जमा करावे। राशि जमा होने पर विधिवत पत्थरगढ़ी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 27-6-16 को राजस्व लोक अदालत कम्प खेडमिया में सरे इजलास सुनाया गया।


 (संजय माथुर)
 उपखण्ड अधिकारी,
 बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा